उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1
संख्या-11/2015/1578/43-1-2014-7(1)/2013
लखनऊ - दिनांक 30 अप्रैल, 2015
कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली की रीजनल शाखा, लखनऊ को लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करने, सेमिनार्स आयोजित करने तथा कार्यालय के अंशकालिक स्टाफ पर अनुमोदित व्यय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 4,50,000/- में से प्रथम किश्त रू0 2,22,500/- (रूपये दो लाख बाइस हजार पॉच सौ मात्र) अनुदान के रूप में स्वीकृत करने तथा कथित संस्थान की सदस्यता ग्रहण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को आर्थिक सहायता दिये जाने के लिए रू0 5,000/- (रूपये पॉच हजार मात्र) की धनराशि आरक्षित रखने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- आहरण वितरण अधिकारी, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उक्त धनराशि रू0 2,22,500/- आहरित कर बैंक डाफट के माध्यम से अवैतनिक सचिव, आई0आई0पी0ए0, नई दिल्ली की उ0प्र0 रीजनल शाखा, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- भविष्य में राज्य सरकार द्वारा संस्थान को किसी प्रकार की सहायता/अनुदान देने पर तभी विचार किया जायेगा जब उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्थान द्वारा शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। उक्त धनराशि से सम्बन्धित लेखे राज्य सरकार द्वारा आडिटेबुल होंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-004-अनुसंधान-03-इण्डियन इंस्टीटयूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली की उत्तर प्रदेश की रीजनल शाखा, लखनऊ को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में दिए गये निदेशानुसार जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

एस0एन0 शुक्ल
प्रमुख सचिव।

- - - 2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-11/2015/2015/1578(1)/43-1-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- अवैतनिक सचिव, आई0आई0पी0ए0, नई दिल्ली की उत्तर प्रदेश रीजनल शाखा, लखनऊ, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6- अनुभाग अधिकारी, लेखा, प्रशासनिक सुधार विभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।